

पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०

**राज्यपाल ने जे०एस० विश्वविद्यालय शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2015 को
अनुमति प्रदान की**

लखनऊ: 23 जून, 2015

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, श्री राम नाईक ने परीक्षण उपरान्त 'जे०एस० विश्वविद्यालय शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2015' नामक विधेयक पर अनुमति प्रदान कर दी है। निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु पारित विधेयक के संबंध में राज्यपाल ने अपने संवैधानिक दायित्व को निभाते हुए मुख्यमंत्री से चार बिन्दुओं पर जानकारी मांगी थी जिसे सरकार द्वारा माह मई के अन्तिम सप्ताह में उपलब्ध करा दिया गया था।

उल्लेखनीय है कि विधानसभा के उपवेशन 25 मार्च, 2015 तथा 26 मार्च, 2015 को विधान परिषद में श्री जगदीश जनकल्याण एजुकेशनल ट्रस्ट, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद द्वारा निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये 'जे०एस० विश्वविद्यालय शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2015' पारित किया गया था। विधेयक पर राज्यपाल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत अनुमति के प्रश्न पर विचार करने के लिये विधेयक की धारा-4 द्वारा अपेक्षित शर्तों, जिनका विश्वविद्यालय के संचालन के लिये पूरा होना आवश्यक है, के बारे में संविधान के अनुच्छेद 167 (इ) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदेश के मुख्यमंत्री से पांच बिन्दुओं पर सूचना मांगी थी।

राज्यपाल ने सप्रमाण यह जानना चाहा था कि क्या रुपये 10 करोड़ की स्थायी विन्यास निधि की स्थापना/व्यवस्था कर ली गई है। क्या विश्वविद्यालय के लिये चिन्हित 40 एकड़ परस्पर जुड़ी हुई भूमि एवं उसके समुचित स्वामित्व का विश्वविद्यालय के नाम हस्तान्तरित करने हेतु ट्रस्ट द्वारा व्यवस्था कर ली गई है। क्या विश्वविद्यालय को दी जाने वाली भूमि के कम से कम 24000 वर्ग मीटर कारपेट एरिया पर भवन निर्माण कर लिया गया है। क्या विश्वविद्यालय के प्रशासन और संचालन के लिये परिनियम और अध्यादेश का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है तथा श्री जगदीश जनकल्याण एजुकेशनल ट्रस्ट, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद लाभ रहित के ट्रस्ट डीड की प्रति उपलब्ध कराने की अपेक्षा की थी। राज्य सरकार से संतोषजनक उत्तर मिलने पर राज्यपाल ने विधेयक पर अपनी अनुमति प्रदान कर दी है।
